



न्यायालय मातः जिला कलक्टर, दोसा  
 दिनांक 17/12/25 किस्म = आवाजा पत्र स्थानान्तरण  
 जनमान - रामकरण बनाम गुडडी देवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-4-26	<p>आयिकता प्रती उपास्थि पत्र को देय की पालना है कि कवर कोर वाद्य गम) रजिस्ट्रार तलक पेथ धेर पर तलक को प्रती गम की जावे रजिस्ट्रार तलक पेथ नहीं जिसे जाने पर आवाजा पत्र डिमांड को प्रकरक निस्तारण हेतु प्रती कोषाधी की जायेगी। पत्रावली डिमांड 11-5-26 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">               अति. जिला कलक्टर              दोसा           </p>
11-5-26	<p>पत्रावली पेश हुई। आयिकता प्रती एवं प्रती को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु आयिकता प्रती अथवा प्रती में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रती विचाराधीन प्रती पत्र स्थानान्तरण को नहीं चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रकर उन्वानी रामकरण बनाम गुडडी देवी को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रती रामकरण पत्र सांख्यिकी जाति शुजर भिवासी ग्राम दुबरी तहसील सिकराय जिला दोसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रती पत्र स्थानान्तरण अद्यपि दर्ज है एवं अद्यपि पैरवी में खारिज किया जाता है निर्णय की प्रतीति प्रती अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में भिजवाई जाने। पत्रावली पत्रावली शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद प्रती प्रतीति अधिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 11-5-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               अरविन्द शर्मा              अति. जिला कलक्टर              दोसा (राज.)           </p>

